



प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम के तहत ईपीआर

प्रिलमिस के लयि:

केंद्रीय प्रदूषण नयितरण बोरड, राष्ट्रीय हरति प्राधकिरण, प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016

मेन्स के लयि:

प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम के तहत ईपीआर

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय प्रदूषण नयितरण बोरड (Central Pollution Control Board) ने [राष्ट्रीय हरति प्राधकिरण](#) (National Green Tribunal-NGT) से कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनी (अमेज़न और फ्लिपकार्ट) को **प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016** के तहत अपनी **वसितारति नरिमाता ज़मिमेदारी** (Extended Producer Responsibility-EPR) को पूरा करने की आवश्यकता है।

- प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016 के अनुसार, प्रयोग कयि गए बहु-स्तरीय प्लास्टिक पाउच और पैकेजिग प्लास्टिक के संग्रहण की प्राथमिक ज़मिमेदारी उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की है जो बाज़ार में उत्पादों को पेश करते हैं।
 - उन्हें अपने उत्पादों की पैकेजिग में प्रयोग कयि प्लास्टिक कचरे को वापस इकट्ठा करने के लयि एक प्रणाली स्थापति करने की आवश्यकता है।

वसितारति नरिमाता ज़मिमेदारी

(Extended Producer Responsibility-EPR):

- यह एक नीतगित दृष्टिकोण है जसिके तहत उत्पादकों को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग कयि गए उत्पादों के उपचार या नपिटान के लयि एक महत्त्वपूर्ण ज़मिमेदारी (वित्तीय/भौतिक) दी जाती है।
- सैद्धांतिक तौर पर इस तरह की ज़मिमेदारी सौंपने से उत्पादन स्रोत से कचरे को रोकने, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पुनर्रचकरण एवं सामग्री प्रबंधन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम

(Plastic Waste Management Rules)

- इन नयिमों को वर्ष 2016 में तैयार कयिा गया था, जनिमें उत्पादों से उत्पन्न कचरे को अपने उत्पादकों (यानी वनरिमाताओं या प्लास्टिक थैलों के आयातकों, बहु स्तरीय पैकेजिग या इस तरह की अन्य पैकेजिग करने वाले उत्पादक) और ब्रांड मालिकों को एकत्र करने की ज़मिमेदारी दी गई थी।
 - उन्हें नरिधारति समय सीमा के भीतर प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन के लयि योजना/प्रणाली के नरिमाण हेतु स्थानीय नकियों से संपर्क करना होगा।
- इन नयिमों का वसितार गाँवों में भी कयिा गया है। पहले ये नयिम नगरपालिकाओं तक ही सीमति थे।
- केंद्रीय प्रदूषण नयितरण बोरड को **थर्मोसेट प्लास्टिक** (इस प्लास्टिक का पुनर्रचकरण करना मुश्कल होता है) के लयि दशिा-नरिदेश तैयार करने को कहा गया है।
 - इससे पहले थर्मोसेट प्लास्टिक के लयि कोई वशिष प्रावधान नहीं था।

- गैर-पुनर्नवीनीकरण बहु स्तरीय प्लास्टिक का वनिरिमाण और उपयोग करने वालों को दो वर्षों में अर्थात् वर्ष 2018 तक सूचीबद्ध किया जाना था ।

प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016 में संशोधन:

- प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016 के तहत नयिमों में वर्ष 2018 में संशोधन किया गया था जिसमें बहु स्तरीय प्लास्टिक के अलावा अन्य प्लास्टिक के प्रकारों पर चरणबद्ध तरीके से जोर देना है जो गैर पुनर्चक्रण या गैर-ऊर्जा प्राप्त योग्य या बिना वैकल्पिक उपयोग के साथ हैं ।
 - संशोधति नयिमों में निर्माता/आयातक/ब्रांड के मालिक के पंजीकरण के लिये एक **केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली** का भी प्रावधान है ।
 - संशोधति नयिमों में यह बताया गया है कि पंजीकरण स्वचालति होना चाहिये और उत्पादकों, रसिाइकलर्स और निर्माताओं के लिये व्यापार में सुवधि को ध्यान में रखना चाहिये ।
 - जबकि दो से अधिक राज्यों में उपस्थति वाले उत्पादकों के लिये एक **राष्ट्रीय रजसिस्ट्री** निर्धारति की गई है और एक या दो राज्यों के भीतर काम करने वाले छोटे उत्पादकों/ ब्रांड मालिकों के लिये एक **राज्य-स्तरीय पंजीकरण** निर्धारति किया गया है ।

आगे की राह

- भारत में प्लास्टिक पैकेजिंग से उत्पन्न कुल प्लास्टिक कचरा 40% से अधिक है और यह महत्त्वपूर्ण है कि ई-खुदरा बकिरेताओं को दशिश नरिदेश जारी किये जाएँ कि वे प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करना बंद करें और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग सामग्री के बकिलप को अपनाएँ ।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/epr-under-plastic-waste-management-rules>

